[2021] 8 एस. सी. आर 237

एम. एम. एक्यूआ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

वी.

आय कर आयुक्त, दिल्ली-III

(सिविल अपील सं। 4742-4743 2021 का)

11 अगस्त, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 43 बी स्पष्टीकरण 3 सी-कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर होगी-ब्याज का वित्तपोषण

एक सावधि डिबेंचर के रूप में राशि, यदि वास्तविक भुगतान के लिए राशि-अपीलार्थी-निर्धारिती कंपनी ने वित्तीय से ऋण प्राप्त किया था

व्यवसाय संचालन के लिए संस्थान जिन पर ब्याज देय है-निर्धारिती अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण ब्याज देयता का निर्वहन करने में असमर्थ है-इसने पुनर्वास योजना के लिए वित्तीय संस्थान से संपर्क किया-योजना के संदर्भ में, निर्धारिती ने ब्याज भुगतान के बदले परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए और फिर यू/एस में कटौती का दावा किया। 43 बी-दावे की अस्वीकृति, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि

डिबेंचर जारी करना वास्तविक भुगतान के बराबर नहीं है-हालाँकि, सी. आई. टी. ने दावे की अनुमति दी और न्यायाधिकरण ने इसे बरकरार रखा-अपील में,

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ब्याज को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः निर्धारिती द्वारा डिबेंचर जारी करना एक पुनर्वास योजना के तहत था, ताकि ब्याज के दायित्व को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके-एस के प्रावधान का कोई दुरुपयोग नहीं। 43 बी या तो सी. आई. टी. या आई. टी. ए. टी. द्वारा पाया गया था-स्पष्टीकरण 3 सी, एक खामी को दूर करने के लिए था, इसलिए इसे राजस्व की सहायता के लिए नहीं लाया जा सकता है-पूर्वव्यापी रूप से जोड़े गए स्पष्टीकरण 3 सी में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, के तीन नियम

व्याख्या निर्धारिती के बचाव में आती है, पहला, वास्तविक भुगतानों के प्रामाणिक लेनदेन प्रभावित होने के लिए नहीं हैं; दूसरा, एक कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो "हटाने के लिए है संदेह को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है, भले ही ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, यदि यह कानून को बदल देता है या बदल देता है जैसा कि यह पहले था, इस प्रकार, स्पष्टीकरण 3 सी स्पष्टीकरणात्मक है-यह एस की व्याख्या करता है। 43 बी (डी) जैसा कि यह मूल रूप से खड़ा था और एक नई शर्त जोड़ने का इरादा नहीं रखता है

और तीसरा, स्पष्टीकरण 3 सी की भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान निर्धारिती के पक्ष में किया जाएगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

एस. 43 - का उद्देश्य-की व्याख्या।

21] 8 एस सी आर।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी का उद्देश्य, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, केवल वास्तविक भुगतान पर कुछ कटौती की अनुमति देना है। यह प्रावधान की शुरुआत में निहित गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों की परवाह किए बिना कटौती की अनुमति दी गई है। जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार वहन किया गया था। संक्षेप में, लेखांकन की एक व्यापारिक प्रणाली को तब नहीं देखा जा सकता जब इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देयता का वहन कटौती की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन केवल "वास्तविक भुगतान", जैसा कि देयता के वहन के विपरीत है, कटौती की अनुमति दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 43 बी (डी) में निर्दिष्ट 'देय राशि', उक्त धारा के प्रावधान 2 के विपरीत, भुगतान के तरीके को संदर्भित नहीं करती है, जिसे धारा 43 बी (डी) द्वारा हटा दिया गया था।

वित्त अधिनियम, 2003 1 अप्रैल, 2004 से लागू हुआ। [पैरा 19] [249-जी-एच; 250 ए-सी]

1.2 सी. आई. टी. और आई. टी. ए. टी. दोनों ने वास्तव में पाया कि ऋणदाता के बीच सहमत पुनर्वास योजना के अनुसार

और ऋणकर्ता, ऋणपत्रों को वित्तीय संस्थान द्वारा बकाया के कारण ऋण के निर्वहन में स्वीकार किया गया था।

ब्याज। सी. आई. टी. के निर्णय में प्रयुक्त "के बदले में" अभिव्यक्ति से भी यह स्पष्ट है। यह न केवल निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत खातों से स्पष्ट है, बल्कि इस तथ्य से भी समान रूप से स्पष्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में, विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए, बैंक के खाते ऋणपत्रों के माध्यम से प्राप्त राशि को अपनी व्यावसायिक आय के रूप में दर्शाते हैं। तत्काल मामले में यह तथ्य-स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि ब्याज का "वास्तव में भुगतान" ऋणपत्र जारी करने के माध्यम से किया गया था, जो

ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त कर दिया। [पैरा 20] [250-डी-एफ]

1.3 स्पष्टीकरण 3 सी, जिसे "संदेहों को दूर करने" के लिए पेश किया गया था, ने केवल यह स्पष्ट किया कि ब्याज जो अवैतनिक रहा

और ऋण या उधार में परिवर्तित किया गया है, यह नहीं माना जाएगा कि वास्तव में भुगतान किया गया है। विशेष रूप से देखा गया है स्पष्टीकरण 3 सी की व्याख्या करने वाले परिपत्र के संबंध में, स्पष्टीकरण 3 सी की शुरूआत के केंद्र में धारा 43 बी के प्रावधानों का दुरुपयोग वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके, बल्कि एम. एम. एक्यूयूए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को परिवर्तित करके किया गया है।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III

पूर्वव्यापी रूप से जोड़ा गया स्पष्टीकरण 3 सी, व्याख्या के कम से कम तीन अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत इस मामले में निर्धारिती के बचाव में आते हैं। सबसे पहले, चूंकि 2006 में स्पष्टीकरण 3 सी को एक खामी को दूर करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था - अर्थात। वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके लेकिन ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करके धारा 43 बी का दुरुपयोग, वास्तविक भुगतानों के प्रामाणिक लेनदेन प्रभावित होने के लिए नहीं हैं। दूसरा, एक कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो "संदेहों को दूर करने के लिए" है, यह नहीं माना जा सकता है पूर्वव्यापी, यहां तक कि जहां ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, अगर यह कानून को बदलती है या बदलती है जैसा कि पहले था। यह मामला होने के कारण, स्पष्टीकरण 3 सी स्पष्टीकरणात्मक है-यह धारा 43 बी (डी) की व्याख्या करता है क्योंकि यह मूल रूप से थी और इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी रूप से एक नई शर्त जोड़ना नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है। तीसरा, स्पष्टीकरण 3 सी की भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान निर्धारिती के पक्ष में किया जाएगा। [पैरा 21-24] [250-F-H; 251-A C; 252-G-H; 253-G-H; 254-A]

1.4 उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस मामले के तथ्यों पर 'ब्याज' को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है-वास्तव में, यह नीचे दिए गए अधिकारियों के तथ्यों पर निष्कर्ष के सीधे विपरीत है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है और आई. टी. ए. टी. के फैसले और आदेश को बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 25,31] [254-बी-सी; 257-डी]

के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173: [1982] 1 एस. सी. आर. 629; सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल। इंक. वी. सीआईटी (2005) 12 एससीसी 717: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303; राष्ट्रीय रेयॉन कॉर्प. लिमिटेड वी. सीआईटी (1997) 7 एससीसी 56: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 140-संदर्भित।

[2021] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नेशनल रेयॉन कॉर्प। लिमिटेड वी. सीआईटी (1997) 7 एससीसी 56:

[1997] 3 पूरक। एससीआर 140; सी. आई. टी. v. गुजरात साइप्रोमेट

लिमिटेड (2020) 15 एससीसी 460-प्रतिष्ठित।

केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त 1921 (1) के. बी. 64-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

प्रतिष्ठित

(2020) 15 एससीसी 460

पैरा 30

[1982] 1 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2012] 1 एससीआर 573

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[1997] 3 पूरक। एससीआर 140

प्रतिष्ठित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4742

4743 2021 से।

उच्च न्यायालय के 22.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की समीक्षा याचिका No.308 में नई दिल्ली में।

विश्वजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , साहिल टागोत्रा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

बलबीर सिंह, एएसजी, रुपेश कुमार, सुश्री विमला सिन्हा, अपूर्व

कुरुप, उदय खन्ना, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों में उठाया गया प्रश्न विशेष संदर्भ के साथ है।

आयकर अधिनियम, 1961 ["अधिनियम"] की धारा 43 ख स्पष्टीकरण 3 सी के लिए। इनमें उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य

अपीलें इस प्रकार हैं।

3. 28 नवंबर, 1996 को अपीलार्थी ने आय विवरणी दाखिल की।

निर्धारण वर्ष 1996-1997 के लिए रु. 1,03,18,572/- के नुकसान की घोषणा करना। उसके द्वारा दाखिल विवरणी में, अपीलार्थी ने कटौती का दावा किया

रु. 2,84,71,384/- वित्तीय संस्थानों को उपार्जित और देय ब्याज के बदले डिबेंचर जारी करने के आधार पर धारा 43 बी के तहत। 29 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश द्वारा, मूल्यांकन अधिकारी ने अपीलार्थी के एम. एम. एक्यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को खारिज कर दिया।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लालच, जैसा कि वे तब थे, धारा 43 बी (डी) के विपरीत होगा, ऐसी राशि को कटौती के लिए अयोग्य बना देगा। आयुक्तटैक्स (अपील्स) ["सी. आई. टी".] ने अपील की अनुमति दी और तथ्यों के आधार पर कहाः

" 3.2 . ..... यह एल. डी. द्वारा स्पष्ट किया गया था। परामर्श दें कि वित्तीय संस्थानों के साथ मूल समझौतों में चूक की गई राशि के 20 प्रतिशत को अपीलार्थी की इक्विटी पूंजी में बदलने का प्रावधान है।

ऋणदाताओं के विकल्प पर। समझौतों में मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए भी प्रावधान किया गया था, जैसा कि

ऋणदाता द्वारा चूक के समय निर्धारित संशोधित नियम और शर्तें। चूंकि अपीलार्थी ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था

और परिसमाप्त क्षति। इसने प्रमुख वित्तीय से संपर्क किया

जिन संस्थानों ने सभी संस्थानों की ओर से पुनर्वास योजना के अनुसार पुनर्वास योजना को मंजूरी दी, अपीलार्थी ने 100-100 के 300149 परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए

रु. की राशि। 3,00,14,900 / बकाया ब्याज और अन्य शुल्कों के बदले में। वित्तीय संस्थानों के पक्ष में इन डिबेंचरों के परिणामस्वरूप, रु। 2,84,71,384 / - प्रभावी रूप से भुगतान किया गया। यह एल. डी. द्वारा तर्क दिया गया था। परामर्श दें कि डिबेंचर जारी करके बकाया ब्याज का परिसमापन करना इसके समान था

आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के तहत परिकल्पित ब्याज का वास्तविक भुगतान। एल. डी. ने इस पर जोर दिया। यह सलाह दें कि आई. टी. की धारा 43 बी.

अधिनियम, नकद या चेक पी. एफ. और ई. एस. आई. के भुगतान का निर्धारित तरीका है जबकि ब्याज के भुगतान का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। इसलिए ब्याज के भुगतान का तरीका इसके अलावा भी हो सकता है।

नकद या चेक/ड्राफ्ट। ब्याज के बदले डिबेंचर जारी करना

इसलिए यह भुगतान था जिसे प्रमुख संस्थानों द्वारा स्वीकार किया गया था। चूँकि ऋणदाता ने रसीद स्वीकार की थी

ब्याज, भुगतान के बारे में कोई विवाद नहीं था।

... .

हालांकि, ऋण के मूल नियमों और शर्तों में न केवल चूक की गई राशि के 20 प्रतिशत को ऋण में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है।

अपीलार्थी की समता लेकिन इसके नियमों और शर्तों का संशोधन भी

प्रत्येक चूक के समय भुगतान। इक्विटी में आंशिक रूपांतरण ऋणदाता के विकल्प पर था जो ऋणदाता ने [2021] 8 एस. सी. आर. नहीं किया।

व्यायाम करें। अपीलार्थी के अनुरोध पर, सभी ऋणदाताओं के न्यासी के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था ने पुनर्वास योजना पर सहमति व्यक्त की और 300149 करोड़ रुपये के डिबेंचर स्वीकार किए। 100 प्रत्येक कुल रु। 3,00,14,900 / - बकाया ब्याज के निर्वहन में। इसलिए अपीलार्थी और ऋणदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत डिबेंचर जारी करने के माध्यम से ब्याज के दायित्व का निर्वहन उधार को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार था।

4. इन तथ्यों पर, विद्वान सी. आई. टी. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष थाः

दायित्व के भुगतान को स्थगित करना। ऋणपत्र एक मूल्यवान वस्तु है। प्रतिभूति जो स्वतंत्र रूप से परक्राम्य है और शेयर बाजार में खुले तौर पर उद्धृत की जाती है। चूँकि वित्तीय संस्थानों ने बकाया ब्याज के लिए दायित्व के प्रभावी निर्वहन में डिबेंचरों को स्वीकार कर लिया था, जो अब अपीलार्थी द्वारा देय नहीं था, यह आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के इरादे के लिए वास्तविक भुगतान के समान था। चूंकि वास्तव में वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान किया गया था और भुगतान

के नियमों और शर्तों के अनुसार था

ऋण, रुपये का ब्याज। 2,84,71,384 / - आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के तहत अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।

5. इस आदेश को आयकर अपीलीय अदालत ["आई. टी. ए. टी".] द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था। आई. टी. ए. टी. ने कहाः

" 9. ..... इस धारा को शरारत पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था

निर्धारिती द्वारा कर भुगतान को रोकना, जबकि उसी समय आय-कर निर्धारण में उसकी कटौती का दावा करना। लेकिन जब दोनों पक्ष लेनदार और देनदार इस बात पर सहमत होते हैं कि बकाया ब्याज देयता को पूरी तरह से भुगतान किए गए डिबेंचरों में परिवर्तित करना उनके द्वारा देयता के निर्वहन के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि दोनों के बीच अनुबंध के बावजूद, आयकर अधिकारियों के लिए यह कहना खुला है कि ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया है, न केवल धारा 43 बी के प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत होगा, बल्कि उपयोग की गई भाषा के लिए भी हिंसा करेगा। सुभ्रा मोटल प्रा. लि. लिमिटेड (ऊपर), न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि अभिव्यक्ति "वास्तव में भुगतान" दिखाई दे रही है

धारा 43 ख में इस आशय के शब्दों द्वारा अर्हता प्राप्त नहीं है कि भुगतान नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य एम. एम. एक्वा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जाना चाहिए।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा के खंड (ख) के संदर्भ में, जो निर्धारिती द्वारा भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि आदि में योगदान के रूप में देय राशि को संदर्भित करता है, जैसा कि दूसरे प्रावधान में निर्धारित किया गया है।

6. इसके बाद यह निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाः " 11. ..... पृष्ठ 197 पर, कर योग्य आय के विवरण की प्रति

ए. वाई. 2001-02 के लिए निर्धारिती की राशि दाखिल की गई है, जिससे पता चलता है कि जिस वर्ष डिबेंचरों को भुनाया गया था, निर्धारिती ने ब्याज के लिए किसी भी कटौती का दावा नहीं किया था। इस प्रकार वर्तमान मामले में यह साबित हो गया है कि बकाया देयता को परिवर्तनीय डिबेंचर में परिवर्तित करके ब्याज का भुगतान एक वास्तविक पर्याप्त और प्रभावी भुगतान है, जो "वास्तविक" शब्द की आवश्यकता को पूरा करता है और यह एक काल्पनिक या भ्रामक भुगतान नहीं है।

पक्षकारों ने इसे निर्धारिती द्वारा ब्याज देयता के प्रभावी निर्वहन के रूप में समझा है। खातों के साथ-साथ उनके आयकर आकलन में दिया गया व्यवहार तथ्यात्मक स्थिति के अनुरूप है।

12. ..... वर्तमान मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि ब्याज का वित्तपोषण किया जाएगा और परिवर्तनीय डिबेंचर वित्त पोषित ब्याज के समान राशि में जारी किए जाएंगे और इस व्यवस्था को वे दोनों ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के वास्तविक निर्वहन के रूप में स्वीकार करेंगे। हमारी राय में, किसी को भी हस्तक्षेप करने और फिर से लिखने का अधिकार नहीं है पक्षकारों के लिए व्यवस्था करें और कहें कि पक्षकार आपस में सहमत नहीं हो सकते हैं कि इसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के वास्तविक निर्वहन के रूप में लिया जाएगा। धारा 43 बी के प्रावधानों को पेश करते समय विधायिका द्वारा व्यक्त की गई आशंका यह थी कि निर्धारिती अपनी आयकर देनदारियों का भुगतान करके उनका निर्वहन नहीं कर रहा था और वास्तव में, उनमें से कुछ अदालतों से रोक भी प्राप्त कर रहे थे और साथ ही अपने आयकर आकलन में कटौती के रूप में इस तरह के दायित्व का दावा कर रहे थे। यह आशंका,

1984 में पेश किए जाने के समय धारा 43 बी के पीछे जो तर्क था, वह हमें वर्तमान मामले में गलत प्रतीत होता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यहाँ हम किसी वैधानिक दायित्व से संबंधित नहीं हैं। निर्धारिती वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के रूप में वैधानिक दायित्व को समाप्त किए बिना आयकर मूल्यांकन में कटौती का दावा नहीं कर रहा है।

21] 8 एस सी आर।

सी. आई. टी. बनाम उदयपुर के मामले में हुआ था। डिस्टिलरी कं. लिमिटेड (नं. 1) (268 आई. टी. आर. 305) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में सरकार को शुल्क का भुगतान करने के लिए एक वैधानिक दायित्व था। , और यह माना गया कि एक बैंक गारंटी को पूरा नहीं करेगा

धारा की आवश्यकताएँ, और धन वास्तव में अवैध में प्रवाहित होना चाहिए। हमारे समक्ष मामले में, यह एक संविदात्मक देयता है जहां दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि बकाया ब्याज देयता का निर्वहन निर्धारिती द्वारा एक विशेष तरीके से किया जाएगा और उस तरीके का पालन किया जाएगा। निर्धारिती ने ब्याज का दावा नहीं किया है
उस वर्ष में फिर से कटौती जिसमें डिबेंचरों को भुनाया गया था और इस आशय के साक्ष्य पहले ही दिए जा चुके हैं। जिस ब्याज की अब निर्धारिती के मूल्यांकन में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, वह आईसीआईसीआई के मूल्यांकन में उसकी व्यावसायिक आय के रूप में परिलक्षित होता है। किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। धारा 43 बी के प्रावधानों को इस काल्पनिक आधार पर लागू करना कि ब्याज का कोई वास्तविक भुगतान नहीं है, पूरी तरह से गलत होगा और

यह धारा की एक तनावपूर्ण व्याख्या के बराबर है।

7. आई. टी. ए. टी. के उपरोक्त फैसले के खिलाफ, राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न को निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः

" क्या सावधि ऋण के माध्यम से ब्याज राशि का वित्तपोषण आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी द्वारा विचार किए गए वास्तविक भुगतान के बराबर है?

8. तथ्यों को सही ढंग से दर्ज करने के बाद कि "निर्धारिती अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण इस ब्याज देयता का निर्वहन करने में असमर्थ था। उस पर

30/03/1994 , आईसीआईसीआई ने एक पत्र के माध्यम से प्रतिबद्धता शुल्क के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के एक हिस्से को माफ कर दिया और रु। 3,00,149 100 प्रत्येक के परिवर्तनीय डिबेंचर, जिनकी राशि रु। 3,00,14,900 / - बकाया राशि के बदले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के तर्क को कुछ विस्तार से निर्धारित किया और फिर आई. टी. ए. टी. के लिए वकील की दलीलें निर्धारित कीं।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी। पैरा 8 में, निर्णय ने तब स्पष्टीकरण 3 सी के साथ धारा 43 बी को निर्धारित किया, जिसे वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा पूर्वव्यापी डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.1989 द्वारा जोड़ा गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण 3 सी के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 10. अब, स्पष्टीकरण 3 सी, जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव 01.04.1989 से होगा, वर्तमान मामले में लागू होगा, क्योंकि यह

AY 1996-97 से संबंधित है। स्पष्टीकरण 3 सी इस अपील में उठाए गए मुद्दे को पूरी तरह से शामिल करता है, क्योंकि यह निर्धारिती के इस तर्क को नकारता है कि एम. ए. क्यू. यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ब्याज जिसे ऋण में परिवर्तित किया गया है, वास्तव में माना जाता है।

भुगतान किया "। इस स्पष्टीकरण के सम्मिलन के आलोक में, जो, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विवादित आदेश पारित होने के समय मौजूद नहीं था, निर्धारिती धारा के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

43 अधिनियम का बी "।

9. इसके बाद यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना और आंध्र उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करने के बाद समाप्त हुआ।

इश, इस प्रकारः

" 12. स्पष्टीकरण 3 सी की शुरूआत के आलोक में, यह न्यायालय वित्त अधिनियम, 2006 के अधिनियमन से पहले निर्धारिती द्वारा दिए गए उदाहरणों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता है। जहां तक शक्ति स्प्रिंग इंडस्ट्रीज [(2013) 219 टैक्समैन 124] में निर्णय का संबंध है, उस मामले में देय ब्याज की भरपाई एक सब्सिडी के खिलाफ की गई थी, जिसका निर्धारिती हकदार था, और इसमें ऐसा कोई उदाहरण शामिल नहीं था जहां स्पष्टीकरण 3 सी के अर्थ के भीतर "ऋण या उधार में परिवर्तित" किया गया था। शायद इसी वजह से

स्पष्टीकरण 3 पर चर्चा नहीं की गई थी।

10. 22 जुलाई, 2016 को उच्च न्यायालय ने समीक्षा को खारिज कर दिया

निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित रूप में दाखिल किया गयाः

" 8. ..... कानून का स्पष्ट उद्देश्य अर्थात धारा 43-बी (डी) यह है कि ब्याज देयता के लिए देय कोई भी राशि इसके लिए योग्य होगी - कटौती; हालाँकि स्पष्टीकरण 3 सी एक सवार पर जोर देने के लिए कार्य करता हैः

" स्पष्टीकरण 3 सी शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी भी राशि की कटौती, जिसके तहत ब्याज देय है

इस धारा के खंड (घ) की अनुमति दी जाएगी यदि ऐसा ब्याज वास्तव में भुगतान किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट कोई ब्याज

जिसे ऋण या उधार में परिवर्तित नहीं किया गया है,

माना जाता है कि वास्तव में भुगतान किया गया था। "

काफी संभवतः निर्धारिती की दलीलें होतीं

इस मामले में शामिल, पर्याप्त होता-लेकिन स्पष्टीकरण 3 सी के लिए। अब, इस प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था और स्पष्ट रूप से विचाराधीन अवधि के लिए संचालित किया गया था। निर्धारिती इस पर विवाद नहीं करता है। इसके अलावा, इस अदालत के फैसले में अन्य अदालतों-आंध्र प्रदेश

और तेलंगाना और मध्य प्रदेश के फैसलों का हवाला दिया गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय-जिसने
माना कि वास्तविक भुगतान साइन [2021] 8 एस. सी. आर. है।

धारा 43-बी की प्रयोज्यता के लिए गैर। इन परिस्थितियों में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड [2006 (6) एस. सी. सी. 94] और सनराइज एसोसिएट्स [2006 (5) एस. सी. सी. 603] में लिए गए निर्णय, जिन्होंने डिबेंचरों की प्रकृति और चरित्र को घोषित किया, बहुत कम उपयोगी हैं।

11. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वजीत भट्टाचार्य ने सबसे पहले इस न्यायालय का ध्यान एक आदेश की ओर आकर्षित किया दिनांक 20 अप्रैल, 2005 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में विचार के लिए बनाए गए कानून का प्रश्न इस प्रकार था:

" क्या 'डिबेंचर' शब्द के माध्यम से ब्याज राशि का वित्तपोषण धारा द्वारा विचार किए गए वास्तविक भुगतान के बराबर है। 43 आयकर अधिनियम, 1961 का ख? "

12. तब इस प्रश्न को गलत तरीके से दर्ज किया गया था:

" क्या सावधि ऋण के माध्यम से ब्याज राशि का वित्तपोषण धारा 43 बी द्वारा विचार किए गए वास्तविक भुगतान के बराबर है। आय-कर अधिनियम, 1961?

13. चूंकि उच्च न्यायालय ने खुद से गलत सवाल पूछा था, इसलिए वह गलत निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि मुख्य शब्द "डिबेंचर" इसमें नहीं था। 18 मई, 2015 के विवादित फैसले में तैयार किया गया प्रश्न। इसके बाद उन्होंने हमें उन तथ्यों के बारे में बताया जो सी. आई. टी. और आई. टी. ए. टी. द्वारा पाए गए थे और तर्क दिया कि तथ्यों के आधार पर, उनके पक्ष में एक निष्कर्ष दिया गया था कि जो डिबेंचर जारी किए गए थे, वे भविष्य में देयता के किसी भी भुगतान के लिए नहीं थे, बल्कि वास्तविक भुगतान के लिए थे। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि स्पष्टीकरण 3 सी, जिसे बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश किया गया था।

इन निर्णयों का इस मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि ब्याज को किसी भी ऋण या उधार में परिवर्तित नहीं किया गया था। इस प्रकार, विशेष रूप से स्पष्टीकरण 3 सी पर आधारित उच्च न्यायालय के दोनों निर्णय गलत हैं क्योंकि उन्होंने नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है, जो अधिकारी तथ्यों पर अंतिम हैं। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने उन निर्णयों पर भी भरोसा किया जो यह दर्शाते हैं कि डिबेंचर कार्रवाई योग्य दावे हैं और उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।

14. श्री भट्टाचार्य ने केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम पर भी भरोसा किया। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त [1921 (1) के. बी. 64] ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि राजकोषीय और कर कानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और चूंकि "डिबेंचर" शब्द स्पष्टीकरण 3 सी में निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए इसे इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है।

एम. एम. एक्यूआ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. अपर सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि धारा 43 बी अधिनियम की अन्य धाराओं से अलग है।

इसके गैर-अस्थाई खंड द्वारा इंगित किया गया है। इस धारा को इसलिए पेश किया गया था ताकि एक व्यापारिक प्रणाली के आधार पर कोई कटौती का दावा नहीं किया जा सके।

वास्तविक भुगतान के रूप में लेखांकन करना होगा। उन्होंने "डिबेंचर" के सही अर्थ के बारे में इस न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया और फिर सी. आई. टी. v. का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। गुजरात साइप्रोमेट लिमिटेड, (2020) 15 एस. सी. सी. 460, जिसने अनुमोदन के साथ वर्तमान मामले में विवादित निर्णय का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि ए

डिबेंचर और कुछ नहीं बल्कि एक ऋण है, वास्तव में, इस मामले के तथ्यों पर ब्याज को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था और स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण 3 सी के बाद के भाग को आकर्षित किया था।

16. इस मोड़ पर, धारा 43 बी को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। उक्त धारा के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार हैं:

43 बी. कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर होगी -

इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती

से

XXX XXX XXX

(घ) किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई राशि, समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार। ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करना, या

XXX XXX XXX

(चाहे वह पिछला वर्ष हो जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार किया गया था) केवल इन में अनुमति दी जाएगी।

उस पूर्ववर्ती की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करना

जिस वर्ष वास्तव में उसके द्वारा ऐसी राशि का भुगतान किया जाता है:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी किसी भी राशि के संबंध में लागू नहीं होगा जो वास्तव में निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान किया जाता है।

जिस वर्ष ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व [2021] 8 एस. सी. आर. के रूप में वहन किया गया था।

उपरोक्त और इस तरह के भुगतान का साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

निर्धारिती इस तरह के रिटर्न के साथ।

XXX XXX XXX

स्पष्टीकरण 3 सी। सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी राशि की कटौती, जो खंड के तहत देय ब्याज है।

((घ) इस धारा की अनुमति दी जाएगी यदि ऐसा ब्याज वास्तव में भुगतान किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट कोई ब्याज जो

ऋण या उधार में परिवर्तित किया गया माना नहीं जाएगा

वास्तव में भुगतान किया गया।

सायन, उस समय, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा समझाया गया था8 दिसंबर, 1983 के परिपत्र No.372/1983 में एस ["बोर्ड"] के रूप में

डब्ल्यूएसः

" 35.2 कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां करदाता ऐसा नहीं करते हैं

उत्पाद शुल्क के संबंध में अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन, भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान, कर्मचारी राज्य

बीमा योजना, आदि, लंबी अवधि के लिए, विस्तारित कभी-कभी कई वर्षों तक। अपनी आय-कर निर्धारण के उद्देश्यों के लिए, वे आधार पर कटौती के रूप में दायित्व का दावा करते हैं।

कि वे व्यापारिक या उपार्जित आधार पर खाते रखते हैं। दूसरी ओर, वे दायित्व पर विवाद करते हैं और उसका निर्वहन नहीं करते हैं। किसी न किसी कारण से निर्विवाद देनदारियों का भी भुगतान नहीं किया जाता है। 35.3 इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, वित्त अधिनियम ने एक नई धारा 43 बी अंतःस्थापित की है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा किसी समय लागू किसी कानून के तहत कर या शुल्क के माध्यम से देय किसी भी राशि के लिए कटौती या किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए ग्रेच्युटी निधि या किसी अन्य निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि की कटौती की अनुमति केवल उस पिछले वर्ष की आय की गणना में दी जाएगी जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व पिछले वर्ष की तुलना में था जिसमें वास्तव में करदाता द्वारा भुगतान किया जाता है।

मूल्यांकनकर्ता।

35.4 इस खंड में हटाने के लिए एक स्पष्टीकरण भी है।

शंकाओं से। स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि जहां आय की गणना करने में उपरोक्त किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति है, वहां एम. एम. एक्यू. यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी भी पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष होने के नाते निर्धारण वर्ष 1983-84, या कोई पूर्व निर्धारण वर्ष, जिसमें

ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा वहन किया गया था, निर्धारिती धारा 43 बी के तहत किसी भी कटौती का हकदार नहीं होगा।

ऐसी राशि के संबंध में इस आधार पर कि वास्तव में उस वर्ष उसके द्वारा राशि का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, एक निर्धारिती जिसे पहले से ही कर या शुल्क के कारण या निर्धारण वर्ष 1983-84 के लिए किसी भी निधि में योगदान के रूप में देय किसी राशि के संबंध में, या किसी भी पिछले वर्ष जिसमें भुगतान करने का दायित्व किया गया था, उस देयता के संबंध में, निर्धारण वर्ष 1984-85 में, या किसी भी बाद के वर्ष में इस आधार पर कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने वास्तव में एक ऋण राशि जमा की है।

उस वर्ष इस तरह के दायित्व के लिए भुगतान।

18. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त अधिनियम, 2006 का स्पष्टीकरण 3 सी 1 अप्रैल, 1989 से लागू हुआ। रोविजन के दायरे और प्रभाव को बोर्ड द्वारा दिसंबर, 2006 के परिपत्र No.14/2006 में इस प्रकार समझाया गया थाः

" 16.2 यह ध्यान में आया है कि कुछ निर्धारिती दावा कर रहे थे

धारा 43 ख के तहत मौजूदा ऋण पर देय ब्याज को नए ऋण में इस आधार पर परिवर्तित करने के कारण कटौती कि इस तरह का रूपांतरण ब्याज देयता का एक रचनात्मक निर्वहन था और इसलिए, वास्तविक भुगतान के बराबर था। ब्याज को नए ऋण में बदलने के खिलाफ कटौती का दावा धारा 43 बी के प्रावधानों के दुरुपयोग का मामला है। इसलिए, यह स्पष्ट करने के लिए एक नया स्पष्टीकरण 3 सी जोड़ा गया है कि यदि किसी के द्वारा देय राशि

धारा 43 ख के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती को ऋण या उधार में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार परिवर्तित ब्याज को वास्तविक भुगतान नहीं माना जाएगा।

16.3 यह संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होता है, यानी उस तारीख से जब से धारा 43 बी में खंड (डी) जोड़ा गया था और निर्धारण वर्ष 1989-90 के संबंध में लागू होता है और

बाद के वर्षों में "।

19. मूल रूप से अधिनियमित धारा 43 बी का उद्देश्य केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती की अनुमति देना है। यह प्रावधान की शुरुआत में निहित बाधा खंड द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों की परवाह किए बिना कटौती की अनुमति दी गई है।

ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा [2021] 8 एस. सी. आर. के अनुसार वहन किया गया था।

उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की विधि। संक्षेप में, लेखांकन की एक व्यापारिक प्रणाली को तब नहीं देखा जा सकता जब इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देयता का वहन कटौती की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन केवल "वास्तविक भुगतान", जैसा कि देयता के वहन के विपरीत है, कटौती की अनुमति दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 43 ख (घ) में निर्दिष्ट 'देय राशि', जिसके साथ हम संबंधित हैं, भुगतान के तरीके को संदर्भित नहीं करती है, जैसा कि उक्त धारा के प्रावधान 2 में कहा गया है, जिसे वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से हटा दिया गया था। उक्त प्रोविसो इस प्रकार हैः

" बशर्ते कि किसी भी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी

खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान वास्तव में नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से नियत तारीख को या उससे पहले किया गया हो जैसा कि धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वी. ए.) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है और जहां ऐसा भुगतान नकद के अलावा अन्य तरीके से किया गया है, तो राशि - नियत तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राप्त किया गया।

20. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान मामले में पाए गए तथ्यों का प्रचार करना महत्वपूर्ण है। सी. आई. टी. और आई. टी. ए. टी. दोनों ने पाया कि

तथ्य यह है कि ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमत पुनर्वास योजना के अनुसार, बकाया ब्याज के कारण ऋण के निर्वहन में वित्तीय संस्थान द्वारा डिबेंचर स्वीकार किए गए थे। यह विद्वान सी. आई. टी. के निर्णय में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "के बदले में" से भी स्पष्ट है। यह न केवल निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत खातों से स्पष्ट है, बल्कि इस तथ्य से भी समान रूप से स्पष्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में, विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए, बैंक के खाते ऋणपत्रों के माध्यम से प्राप्त राशि को अपनी व्यावसायिक आय के रूप में दर्शाते हैं। वर्तमान मामले में यह तथ्य-स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि ब्याज का भुगतान वास्तव में डिबेंचर जारी करने के माध्यम से किया गया था, जो

ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त कर दिया।

21. स्पष्टीकरण 3 सी, जिसे "संदेहों को दूर करने" के लिए पेश किया गया था, केवल यह स्पष्ट करता है कि जो ब्याज भुगतान नहीं किया गया है और जिसे ऋण या उधार में परिवर्तित कर दिया गया है, उसे वास्तव में भुगतान नहीं माना जाएगा। जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं, विशेष रूप से स्पष्टीकरण 3 सी की व्याख्या करने वाले परिपत्र के संबंध में, स्पष्टीकरण 3 सी की शुरूआत के केंद्र में धारा के प्रावधानों का दुरुपयोग है। 43 बी वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके, लेकिन इस तरह के ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करके। वर्तमान मामले में पाए गए तथ्यों पर, निर्धारिती द्वारा डिबेंचर जारी करना, एक पुनर्वास योजना के तहत, एम. एम. एक्यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के दायित्व को समाप्त करने के लिए था।

पूरी तरह से रुचि। धारा 43 बी के प्रावधान का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था।

सी. आई. टी. या आई. टी. ए. टी. द्वारा तथ्य के रूप में पाया गया। स्पष्टीकरण 3 सी, जिसका उद्देश्य खामियों को दूर करना था, इसलिए इस मामले के तथ्यों पर राजस्व की सहायता के लिए नहीं लाया जा सकता है। वास्तव में, यदि पूर्वव्यापी रूप से जोड़े गए स्पष्टीकरण 3 सी में कोई अस्पष्टता है, तो व्याख्या के कम से कम तीन अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत इस मामले में निर्धारिती के बचाव में आते हैं। सबसे पहले, चूंकि 2006 में स्पष्टीकरण 3 सी को एक खामी को दूर करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था-यानी वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके बल्कि ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करके धारा 43 बी का दुरुपयोग, वास्तविक भुगतानों के प्रामाणिक लेनदेन प्रभावित होने के लिए नहीं हैं। समान परिस्थितियों में, के. पी. वर्गीज बनाम. आई. टी. ओ. (1981) 4 एस. सी. सी. 173, इस न्यायालय ने धारा 52 का अर्थ लगाया।

आयकर अधिनियम के केवल उन मामलों में लागू होने के रूप में जहां 'अल्पोक्ति' पाई जाती है-एक 'अल्पोक्ति' धारा 52 की शाब्दिक भाषा में नहीं पाई जाती है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आलोक में प्रावधान को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश किया गया था। अतः इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

13. इस प्रकार यह उप-धारा (2) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हस्तांतरण की तारीख को निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य हस्तांतरण के संबंध में घोषित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से इस प्रकार घोषित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं है, लेकिन इसके अलावा यह आवश्यक है कि हस्तांतरण के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कम किया जाए या दूसरे शब्दों में, निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए मूल्य से कम आंकड़े पर दिखाया जाए। उप-धारा (2) का एक ईमानदार और प्रामाणिक लेन-देन के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां

हस्तांतरण के संबंध में प्रतिफल को निर्धारिती द्वारा सही ढंग से घोषित या प्रकट किया गया है, भले ही हस्तांतरण की तारीख को पूंजी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और हस्तांतरण के पूर्ण मूल्य के बीच 15 प्रतिशत के अंतर की शर्त हो। निर्धारिती द्वारा घोषित प्रतिफल संतुष्ट है। .....

XXX XXX XXX

15. इसलिए यह स्पष्ट है कि उप-धारा (2) को राजस्व द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि हस्तांतरण के संबंध में विचार का कम विवरण न हो और यह दिखाने का बोझ न हो कि ऐसा कम विवरण राजस्व पर है। एक बार जब राजस्व द्वारा यह स्थापित हो जाता है कि हस्तांतरण के लिए विचार को कम कर दिया गया है या, इसे अलग तरह से रखने के लिए, निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त प्रतिफल घोषित या [2021] 8 एस. सी. आर. से अधिक है।

उसके द्वारा प्रकट की गई, उप-धारा (2) तुरंत आकर्षित होती है, निश्चित रूप से 15 प्रतिशत या उससे अधिक अंतर की शर्त की पूर्ति के अधीन, और राजस्व को तब यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि अल्पांश की सटीक सीमा क्या है या दूसरे शब्दों में, निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त प्रतिफल क्या है। ज्यादातर मामलों में यह दिखाना मुश्किल होगा, यदि असंभव नहीं है और इसलिए

उप-धारा (2) अल्पोक्ति या छिपाने की सीमा के संबंध में सबूत के सभी बोझ से राजस्व को मुक्त करती है और एक प्रावधान प्रदान करती है हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त प्रतिफल का वैधानिक उपाय। यह कोई काल्पनिक रसीद नहीं बनाता है। यह किसी ऐसी रसीद को नहीं मानता जो वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो। यह केवल

उप-धारा (2) के निर्माण में यह दृष्टिकोण पूंजीगत लाभ पर कर से संबंधित प्रावधानों की योजना के अनुरूप है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 52 एक प्रभार अनुभाग नहीं है, बल्कि एक गणना अनुभाग है। इसे धारा 48 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो गणना का तरीका प्रदान करता है और जिसके तहत प्रारंभिक गणना का बिंदु "प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य है।

या जमा हो रहा है। वास्तव में जो कभी अर्जित नहीं हुआ या कभी प्राप्त नहीं हुआ, उसकी गणना धारा 48 के तहत पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं की जा सकती है। इसलिए उप-धारा (2) को पूंजीगत लाभ की गणना के भीतर ऐसी राशि लाने के रूप में नहीं लिया जा सकता है जो किसी भी विस्तार से

यह कहा जा सकता है कि निर्धारिती को उपार्जित किया गया है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया है और यह उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहां हस्तांतरण के लिए प्राप्त वास्तविक प्रतिफल को कम किया गया है और क्योंकि ऐसे मामलों में दबाए गए प्रतिफल की सटीक मात्रा का निर्धारण और साबित करना बहुत मुश्किल है, यदि असंभव नहीं है, तो उप-धारा (2) निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण करने के लिए वैधानिक उपाय प्रदान करती है और राजस्व को हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में पूंजी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य को लेने की अनुमति देती है।

22. दूसरा, एक कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो "संदेह के मूल्य के लिए" है, को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है, भले ही भाषा का उपयोग किया जाता है, अगर यह कानून को बदल देता है या बदल देता है जैसा कि पहले था।

एम. एम. एक्यूआ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल में कहा गया था। इंक. वी. सी. आई. टी. (2005)

सी. सी. 717 इस प्रकार हैः

17. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गोस्लिनो मारियो [(2000) 10 में पुष्टि की गई थी।

एस. सी. सी. 165] कर कानून का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि कानून

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो। (रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भी देखें। सीआईटी [(1980) 1 एससीसी

139] .) एक वैधानिक प्रावधान के लिए एक स्पष्टीकरण पूरा कर सकता है

मुख्य प्रावधान में अस्पष्टता को दूर करने का उद्देश्य या

व्याख्या मुख्य खंड के दायरे को बढ़ा और चौड़ा कर सकती है।

[सोनिया भाटिया बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, (1981) 2 एस. सी. सी. 585,598]। यदि यह अपनी प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है तो स्पष्टीकरण को मुख्य प्रावधान के लागू होने के समय से ही मुख्य प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए [श्याम सुंदर बनाम देखें। राम कुमार, (2001) 8 एस. सी. सी. 24 (पैरा 44); बृज मोहन दास लक्ष्मण दास बनाम। सी. आई. टी., (1997) 1 एस. सी. सी. 352,354; सी. आई. टी. बनाम। पोदार सीमेंट (पी) लिमिटेड, (1997) 5 एससीसी 482,506]। लेकिन अगर यह कानून में बदलाव करता है तो इसे पूर्वव्यापी नहीं माना जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि उपयोग किए गए वाक्यांश "यह घोषित किया गया है" हैं या "संदेह को दूर करने के लिए"।

18. धारा 9 (1) (ii) के मुख्य प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं थी और नहीं है। इसमें एक निर्धारिती की कुल आय में वेतन शामिल है यदि निर्धारिती ने इसे भारत में अर्जित किया है। "अर्जित" शब्द को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस. जी. पग्रताले [(1980) 124 आई. टी. आर. 391 (गुजरात)] में न्यायिक रूप से परिभाषित किया गया था, हमारे विचार में, सही अर्थ में, "भारत में उत्पन्न होने वाली या उपार्जित होने वाली आय" के रूप में। 1983 में एक स्पष्टीकरण के माध्यम से धारा में संशोधन ने निम्नलिखित के दायरे में परिवर्तन कियाः

वह न्यायिक परिभाषा जिसे 1979 से प्रभावी रूप से शामिल किया जाए,

" भारत में प्रदान की गई सेवा के लिए देय आय "। 19. जब स्पष्टीकरण एक कृत्रिम अर्थ देने का प्रयास करता है

“ भारत में अर्जित "और प्रभावी रूप से परिवर्तन लाता है मौजूदा कानून और इसके अलावा भविष्य की तारीख से प्रभावी होने के लिए कहा जाता है, व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जो

स्पष्टीकरण को पूर्वव्यापी रूप से संचालित करने के रूप में पढ़ना उचित होगा।

23. यह मामला होने के कारण, स्पष्टीकरण 3 सी स्पष्टीकरणात्मक है-यह 43 बी (डी) पर समझाता है कि यह मूल रूप से क्या था और इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी रूप से एक नई अवधारणा को जोड़ना नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है।

24. तीसरा, स्पष्टीकरण 3 सी की भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान केप ब्रांडी सिंडिकेट v के अनुसार निर्धारिती के पक्ष में किया जाएगा। इस न्यायालय के निर्णयों के बाद अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त (उपरोक्त)-वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम देखें। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 613 पैरा 60 से 70 प्रति कपाडिया, सी. जे. और पैरा 333,334 प्रति राधाकृष्णन, जे.

25. 18 मई, 2015 का उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटिपूर्ण है कि इस मामले के तथ्यों पर 'ब्याज' दिया गया है। ऋण में परिवर्तित। इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है-वास्तव में, यह नीचे दिए गए अधिकारियों के तथ्यों पर निष्कर्ष के सीधे विपरीत है।

26. राष्ट्रीय रेयॉन निगम पर विद्वान ए. एस. जी. की निर्भरता। लिमिटेड वी. सी. आई. टी. (1997) 7 एस. सी. सी. 56 कपटी है। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने चालू किया कि क्या Rs.79 लाख का योग 'डिबेंचर' का प्रतिनिधित्व करता है। रिडेम्पशन रिजर्व 'और कंपनी (लाभ) अधिभार के उद्देश्य के लिए निर्धारिती कंपनी की पूंजी की गणना में शामिल था।

अधिनियम, 1964। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि डिबेंचरों को भुनाने के लिए अलग की गई राशि को "प्रावधान" के रूप में माना जाना चाहिए न कि "आरक्षित" के रूप में। इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

वह देयता तभी उत्पन्न होगी जब राशि भुगतान के लिए देय होगी। इसलिए, भुनाने के लिए कोई मौजूदा देयता नहीं थी खाते
के सुसंगत वर्ष में ऋणपत्र।

9. हम इस तर्क को कायम रखने में असमर्थ हैं। चुकाने की जिम्मेदारी

यह उस समय उत्पन्न होता है जब पैसा उधार लिया जाता है। उधार ली गई राशि तुरंत या भविष्य में चुकाई जा सकती है। ऋण चुकौती की तारीख को समझौते द्वारा स्थगित किया जा सकता है लेकिन उस खाते पर चुकाने का दायित्व या दायित्व समाप्त नहीं होगा। दायित्व एक वर्तमान दायित्व है; व्यवहार में ऋण, भविष्य में समाधान।

केसोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम मामले के इस पहलू को इस न्यायालय के फैसले में समझाया गया था। सी. डब्ल्यू. टी. [आकाशवाणी]

1966 एससी 1370: (1966) 59 आईटीआर 767]।

10. डिबेंचर जारी करके कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के बदले ऋण लिया था। यह ऋण खाते के वर्ष में चुकाया नहीं जा सकता है। लेकिन ऋण का भुगतान करने की बाध्यता एक वर्तमान दायित्व है। डिबेंचरों को भुनाने के लिए कंपनी के खातों में अलग रखे गए किसी भी धन को एम. एम. एक्यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में माना जाना चाहिए।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए अलग रखा गया। ऋणपत्रों को होना होगा कंपनी की वर्ष की तुलनपत्र में "देयता" के रूप में दिखाया गया है।

11. सी. आई. टी. के मामले में v. पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स [(1987) 166 आईटीआर 299 (कैल)] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को एक के रूप में माना जाएगा " आरक्षित "और" प्रावधान "नहीं क्योंकि लेखांकन अवधि के दौरान कोई भी डिबेंचर भुनाने योग्य नहीं था। डिबेंचर को भुनाने की देनदारी भविष्य की देनदारी थी। ऋणपत्रों को तुलनपत्र में देयता के रूप में अलग से दिखाया गया था। यह भंडार लाभ के विनियोग द्वारा बनाया गया था न कि राजस्व पर शुल्क के रूप में।

12. हमारा विचार है कि यह दृष्टिकोण गलत है और

कंपनी अधिनियम में दी गई "प्रावधान" और "आरक्षित" की परिभाषाओं की अनदेखी करता है। डिबेंचर और कुछ नहीं बल्कि सुरक्षित ऋण थे। केवल इसलिए कि लेखांकन अवधि के दौरान डिबेंचरों को भुनाया नहीं जा सकता था, इसलिए डिबेंचरों को भुनाने का दायित्व नहीं था।

अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भविष्य की तारीख में भुनाने योग्य या चुकाने योग्य था। लेकिन यह एक ज्ञात दायित्व था। अनुसूची VI में अधिनियम द्वारा निर्धारित बैलेंस शीट के रूप में, सुरक्षित ऋणों को "देनदारियों" शीर्षक के तहत दिखाया जाना चाहिए। सुरक्षित ऋणों में (1) डिबेंचर, (2) बैंकों से ऋण और अग्रिम, (3) सहायकों से ऋण और अग्रिम और (4) अन्य ऋण और अग्रिम शामिल हैं। हो सकता है कि सुरक्षित ऋण तुरंत चुकाने योग्य न हों, लेकिन इन ऋणों को चुकाने की देनदारी एक मौजूदा देनदारी थी और इसे संबंधित वर्ष के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए।

दायित्व के रूप में लेखा। इन ऋणों का भुगतान करने के लिए अलग रखी गई राशि "आरक्षित" नहीं हो सकती है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI में बैलेंस शीट के व्याख्या खंड में विशेष रूप से कहा गया है कि भंडार में कंपनी द्वारा लिखी गई या रखी गई कोई भी राशि शामिल नहीं होगी। ज्ञात दायित्व प्रदान करने का तरीका।

27. इस मामले में तय किया गया प्रश्न वर्तमान मामले के तथ्यों में तय किए जाने वाले राष्ट्र से बहुत दूर है और इन तथ्यों का कोई आधार नहीं है। वर्तमान मामले में सवालयह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कानून में किसे डिबेंचर कहा जा सकता है और /

चाहे वह परिवर्तनीय हो या गैर-परिवर्तनीय या तुरंत देय हो या भविष्य में। वर्तमान मामले में सवाल केवल यह है कि क्या ब्याज का भुगतान वास्तव में डिबेंचर जारी करने के तरीके से किया गया था।

इस सवाल पर गौर करें तो इस फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

21] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. विद्वान ए. एस. जी. ने तब इस बारे में हाल के एक फैसले पर भरोसा किया

सी. आई. टी. बनाम में न्यायालय गुजरात साइप्रोमेट लिमिटेड (ऊपर)। उक्त मामले में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने धारा 43 बी स्पष्टीकरण 3 सी पर विचार करते हुए सी. आई. टी. द्वारा पाए गए तथ्यों को निम्नानुसार नोट किया (पैरा 5):

" 2.2 . मैंने उद्धृत मामले के कानूनों और आई. डी. बी. आई. से उपरोक्त मंजूरी पत्र और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संदर्भित लेखा परीक्षक के नोट का भी अध्ययन किया है। मैंने बैलेंस शीट की अनुसूची 3 को 31-3-2001 पर पढ़ा है और पाया है कि उपरोक्त ऋण इस पर दिखाई देता है।

31-3-2001 और यह रुपये 75,26,10,769 के कुल सुरक्षित ऋण का हिस्सा है। तथ्य यह है कि वित्तीय संस्थानों के लिए बकाया ब्याज तत्व से संबंधित प्रविष्टि द्वारा आदेश के पृष्ठ 2 पर संदर्भित

आई. डी. बी. आई. से 8 करोड़ रुपये की धनराशि की प्राप्ति के बाद निर्धारण अधिकारी को वापस ले लिया गया है, जो अपीलकर्ता कंपनी के इस तर्क की पुष्टि करता है कि उपरोक्त संस्थानों के संदर्भ में बकाया ब्याज से संबंधित प्रविष्टियों का वर्ग किया गया है और

आई. डी. बी. आई. के ऋण की एक नई क्रेडिट प्रविष्टि रखें जो अब बैलेंस शीट में 31-3-2001 पर दिखाई दे रही है। अपीलार्थी के वकील श्री तन्ना की याचिका कि चूंकि अब कोई ब्याज भुगतान बकाया नहीं है और राशि का
भुगतान किया जाता है, ब्याज का व्यय धारा 43-बी के तहत स्वीकार्य है। यह भी कहा गया है कि यदि ऋण 2 भागों में वितरित किया गया था-एक बकाया ब्याज को पूरा करने के लिए और वित्तीय सहायता के लिए शेष राशि फिर भी खाता बही में प्रविष्टियां वही और बकाया बनी रहतीं।

ब्याज शून्य होता। उपरोक्त तथ्यों और अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत मामले के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, मैं

मैं यह मानने के लिए इच्छुक हूं कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति लेनदेन के सार और आयकर अधिनियम की धारा 43-बी के प्रावधानों के विपरीत है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे हटाने का निर्देश दिया जाता है।

29. यह इन तथ्यों पर है कि स्पष्टीकरण 3 सी को राजस्व के पक्ष में और आक्षेपित निर्णय के पैरा 11 और 12 में लागू किया गया था।

वर्तमान मामले को परिच्छेद 13 में संदर्भित किया गया था। अंततः, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

16. विवादित निर्णय में [सी. आई. टी. बनाम. गुजरात साइप्रोमेट लिमिटेड, 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 560], गुजरात उच्च न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम. भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड, 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 381

जो धारा 43-बी (डी) द्वारा कवर किया गया मामला नहीं था, बल्कि धारा 43-बी (ए) का मामला था। धारा 43-बी के प्रावधान में एम. एम. एक्यू. यू. ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शामिल है।

वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली-III [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विभिन्न स्थितियों के मेजबान। वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा अंतःस्थापित वैधानिक स्पष्टीकरण 3-सी वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का ध्यान स्पष्टीकरण 3-सी की ओर नहीं खींचा गया था, इस प्रकार हमारा विचार है कि निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से कटौती को अस्वीकार कर दिया है जैसा कि दावा किया गया है। निर्धारिती द्वारा। अपील प्राधिकरण, आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय

उक्त अस्वीकृति को उलटने में गलती की।

30. उस मामले के तथ्यों पर, इस न्यायालय ने पाया कि उस बकाया ब्याज में स्पष्ट रूप से आकर्षित स्पष्टीकरण ने वास्तव में भुगतान नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय ऋण की एक नई क्रेडिट प्रविष्टि अब दिखाई दी थी, जो स्पष्टीकरण 3 सी की स्पष्ट भाषा के भीतर आती है। यह दूर की बात है।

यह वर्तमान मामले के तथ्यों से लिया गया है, जिन्हें इस निर्णय में स्वीकार नहीं किया गया था। नतीजतन, यह निर्णय भी विशिष्ट है जो वर्तमान मामले के तथ्यों को नियंत्रित करने के लिए लागू नहीं होगा।31. नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय पक्ष में हैं और आई. टी. ए. टी. के निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। उपरोक्त शर्तों में इन नियमों की अनुमति है।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

जैन